न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 04A/2019

1. मदनलाल पुत्र डूंगरराम जाति जाट आयु 45 वर्ष निवासीं ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मनीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–प्रार्थीगण/निगरानीकार

बनाम

1. भूप सिंह पुत्र श्री नंदराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।
2. साहबराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. राजेन्द्र पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. धर्मपाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. ग्राम पंचायत जरिये सचिव, ग्राम पंचायत ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)

– अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

निर्णय दिनांकः–06.02.2024

प्रार्थीगण मदनलाल पुत्र डुंगरराम, मनीराम पुत्र सुरजाराम निवासी ढढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा निगरानी पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. ग्राम ढंढेला बारानी पटवार हल्का ढंढेला [illegible] खाता संख्या 1/2 में खसरा नम्बर 172 में 1.0120 हैक्टेयर मय [illegible] जोहड़ पायतान भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
2. जोहड़ पायतन की भूमि में अप्रार्थीगण [illegible] जो सगे भाई है एंव अप्रार्थी संख्या 1, जो अप्रार्थी संख्या 4 का भतीजा है, ने अप्रार्थी संख्या 5 से मिलीभगत कर एंव राजनैतिक पहुंच का लाभ उठाकर खसरा नम्बर 172 में दर्ज भूमि, जो जोहड़ पायतन भूमि है, में नाजायज रूप से निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता को गुप्त जानकारी मिली है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अप्रार्थी सख्या 5 से मिलीभगत कर प्रशनगत भूमि के पट्टे जारी करवा लिये है, यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने पट्टे जारी करवाये है तो उन्हे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करवाया जावे एंव मौका पर इन्टरलोकिंग की सडक भी बनवा ली है।

3. अप्रार्थीगण ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण कर समस्त ग्रामवासीयों को क्षति पहुंचाई है। अप्रार्थी संख्या 5 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत व कई बार लिखित में सूचना भी दी गई है, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 5 द्वारा प्रशनगत भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत कोई कार्यवाही नही की गई, जिसके पश्चात ग्रामवासीयों ने तहसीलदार नोहर को प्रशनगत भूमि पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में अवगत करवाया एंव पटवार हल्का से मौका निरिक्षण करवाया तो दिनांक 13.04.2018 को रिपोर्ट में भी प्रशनगत भूमि पर पटवार हल्का ने अतिक्रमण माना गया है।

4. ग्राम पंचायत ढंढेला के उप सरपंच मदनलाल द्वारा भी दिनांक 04.02.2019 को ग्राम सचिव ढंढेला को पत्र लिखकर सूचना दी कि प्रशनगत भूमि पर हुए अतिक्रमण को शीघ्रता हटवायें लेकिन उसके पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने बाबत आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की जा रही है।

5. अप्रार्थीगण द्वारा जोहड पायतन की भूमि में किए गये अतिक्रमण से समस्त ग्रामवासीयों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे ग्राम ढंढेला के गन्दे पानी की निकासी भी बाधित हो रही है एंव सार्वजनिक भूमि पर कब्जे कर समस्त ग्रामवासीयों के हित प्रभावित हो रहे है।

6. अप्रार्थीगण को प्रशनगत भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत कई बार निवेदन किए जाने के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रशनगत भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि जोहड पायतन की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा अतिक्रमण कर किये गये निर्माण व बनाई गई इन्टरलोकिंग सडक को हटाए जाने एंवम अप्रार्थीगण ने यदि प्रशनगत भूमि के पट्टे जारी करवाये है तो उन्हे निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:53:05 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री [illegible] जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–04 ग्राम पंचायत जरिये सचिव ग्राम पंचायत ढंढेला तहसील नोहर से निगरानीधीन रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निगरानी को गुणवागुण के आधार पर निर्णय करनें बाबत निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

प्रकरण संख्या 04A/2019 अनवान मदनलाल आदि बनाम भूपसिंह आदि

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ढंढेला की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत निगरानी में ग्राम पंचायत के किसी आदेश या निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। नियमानुसार ग्राम पंचायत के किसी आदेश या निर्णय की ही निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। अतः निगरानीकार की निगरानी सारहीन होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न लौटाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 6.2.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested